VOL- IX ISSUE- II FEBRUARY 2022 PEER REVIEW e-JOURNAL IMPACT FACTOR 7.331 ISSN 2349-638x

केंद्र और राज्य सरकारों की जल नीति का दर्शन

सहा.प्रा.फिरोज पी साहाळा
वाणिज्य विभाग
नेहरू महाविद्यालय, नेरपरसोपंत जि.यवतमाळ

प्रस्तावना:-

जल नीति में जल नियोजन, संरक्षण और वितरण महत्वपूर्ण हैं। मूल रूप से सृष्टि की सभी प्रक्रियाएं जल से संबंधित हैं। जैसे पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत निर्माण, वानिकी, जैव विविधता अर्थात जल जैव विविधता और विकास के लिए आवश्यक है।

हाल के मानसून की अनिश्चितता के कारण, चाहे वह सतही जल हो या भूजल, यह दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है। यह जीवों के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस तथ्य को देखते हुए देश और महाराष्ट्र की जल नीति पर विशेष ध्यान देने और समीक्षा करने की वास्तविक आवश्यकता है। हालांकि, इस नीति के कार्यान्वयन और समीक्षा प्रक्रिया न केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में होगी, बल्कि इसके लिए गहन और सार्थक सार्वजनिक भागीदारी की भी आवश्यकता होगी। साथ ही इस नीति की समीक्षा एवं पुनर्रचना में जल संसाधनों पर सामूहिक अधिकारों को रेखांकित करते हुए पुरानी जल नीति में जल के दोषपूर्ण प्रयोग को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में परिवर्तन और नई जल नीति का कुशल कार्यान्वयन। वर्षा सभी स्थानों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। लेकिन अगर यह मानसून अप्रत्याशित है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी रोटेशन अप्रभावी होगा। जल का सवाल कमोबेश सर्वव्यापी है और हमेशा रहेगा, इसे दूर करना या विशेष विचार के साथ नीति बनाना फायदेमंद है।

राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावी होने और प्रभावी होने में समय लगता है, जिसका अर्थ है कि जो भी नीति, उचित योजना, योजना, कार्यान्वयन प्रक्रिया, आर्थिक पहलू और अवधि महत्वपूर्ण हैं, यह सरकारी नीति पर भी लागू होती है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है और मनुष्य के लिए एक मुफ्त उपहार है। लेकिन जब मनुष्य यह भूल जाता है तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। दरअसल, देश के आर्थिक विकास में जल के महत्व को देखते हुए मानव जीवन में ऑक्सीजन के बाद पानी ही एकमात्र कारक है.आजादी के बाद यह स्पष्ट था कि सरकार ने जल नीति पर विशेष ध्यान दिया था।

भारत की पहली भूजल नीति :-

भारत सरकार ने 9 सितंबर 1987 को पहली राष्ट्रीय जल नीति जारी की। बहुत विचार-विमर्श के बाद, इसे अंततः अप्रैल 2002 में एक संशोधित प्रतिमान के रूप में अपनाया गया। इस जल नीति की शुरुआत में जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में इसकी योजना और विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय हित में कियाजाना चाहिए । इस नीति के अनुसार जल उपयोग का क्रम इस प्रकार है । १) पिने का पाणी २) सिंचाई (कृषि)) बिजली ४) पर्यावरण संरक्षण ५) उद्योग व्यवसाय ६) जल परिवहन और अन्य। इसके तहत जनभागीदारी और सरकारी कार्यों में भूजल के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए। अ) किसी विशेष अवधि में भूजल भंडारण, इसकी विकास क्षमता और जल की गुणवत्ता की जाच करने के लिए। ब) भूजल का अपव्यय वृद्धि की दर से कम होनी चाहिए। क) यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि भूजल के उपयोग में सामाजिक न्याय का पालन किया जाए, साथ ही जल परियोजना के डिजाइन से लेकर इसके कार्यान्वयन तक सतही जल और भूजल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ड) यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि समुद्र का खारा पानी समुद्र तट के पास भूजल जलाशय से अतिरिक्त निकासी द्वारा जलाशय में रिस न जाए।

वास्तव में , यह नीति सामान्य है और विशेष रूप से भूजल स्वामित्व और नियंत्रण के मुद्दे को संबोधित नहीं करती है, इसलिए इसे लागू करना मुश्किल है । फिलहाल केंद्र सरकार भूजल प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है,

क्योंकि मामला राज्य के नियंत्रण में है और मन जा रहा है कि राज्य सरकार ठोस कदम उठाए ।

राष्ट्रीय जल नीति और जल अभियान :-

इस नीति को लागू करने और बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल निकायों की स्थापना की गई थी, और 2009 में बोर्ड ने जलवायु परिवर्तन के अनुरूप जल नीति में बदलाव की सिफारिश की थी। इससे पहले 2008 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल अभियान शुरू किया था।

इस अभियान के उद्देश्य -

1) जल संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और पानी की बर्बादी को रोकना और पानी का उचित उपयोग करना चाहिए.
2) जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अद्यतन जानकारी संकलित करना ।
3) जल संरक्षण, जल भरना और संरक्षण के लिए जनभागीदारी एंव सरकारी कार्यों में समन्वय स्थापित करना ।
4) जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि करें और संवेदनशील क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखें।

अभियान ने हिमालय के ग्लेशियरों में गिरावट, सूखे और बाढ़ में वृद्धि, भूजल स्तर और उनके स्तर में गिरावट के साथ-साथ भूजल पर वर्षा और वाष्पीकरण में बदलाव के प्रभाव और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण तटीय क्षेत्रों में लवणता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पानी की समस्या को हल करने के लिए कई योजनाएं लाई हैं और इसके लिए निरंतर प्रयास किए हैं। जैसे सूखा और बाढ़ नियंत्रण, नदी कनेक्शन योजना, नहर तटबंध योजना, अंतर-बेसिन कनेक्शन योजना आदि के साथ-साथ जल विकास और योजना के लिए कुछ मानदंड।पानी के उपयोग का अधिकार अप्रतिबंधित, राष्ट्रीय जल बोर्ड को और अधिक कुशल बनाना, आंतरराज्य और पड़ोसी देशों के साथ जल बंटवारे के समझौतों को बरकरार रखते हुए भविष्य की बातचीत तय करना आदि। देश में विशिष्ट स्थलाकृति के कारण सरकार के लिए बांध और जलाशय बनाना मुश्किल है, साथ ही वित्तीय और अन्य बाधाएं। ऐसे मामलों में, छोटे, मध्यम और बड़े जलाशयों का पता लगाया जा सकता है, विभिन्न उद्योगों जैसे सिंचाई, बिजली, जल परिवहन और बाढ़ नियंत्रण के लिए नई परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। भविष्य में पानी की मांग और मांग को ध्यान में रखते हुए अंतर्देशीय और अंतरराज्यीय जल अंतरण नीति तय करना। पर्यावरण के संरक्षण, संरक्षण और वन विस्तार के लिए धन जुटाना और जागरूकता बढ़ाना। औद्योगिक और नागरिक उपयोग के लिए पानी को प्राथमिकता देते हुए, प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं और परियोजनाओं के लिए भूमिहीन लोगों के तत्काल पुनर्वास की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने घरों और गांवों को छोड़ना पड़ता है, और पर्याप्त जगह और सुविधाएं प्रदान करते हैं। बेशक, बड़े पैमाने पर और जटिल रणनीतियाँ हमेशा हर स्तर पर सफल नहीं होती हैं।

महाराष्ट्र राज्य जल नीति :-

राज्य सरकार ने जुलाई 2003 में जल नीति की रूपरेखा तैयार की। जिसमें धारा 3.3 के अनुसार प्रचुर मात्रा में पानी वाले बेसिन से कम पानी वाले बेसिन में पानी लाने का प्रावधान किया गया था। बाद में 2006 में संशोधित जल नीति की घोषणा की गई और डॉ. माधवराव चितले की अध्यक्षता में 'महाराष्ट्र सिंचाई' आयोग ने सिफारिश की कि निम्नलिखित घाटियों का पालन किया जाए। वैतरणा-उत्तर कोंकण, उध्वनकृष्ण, दमन गंगा, पार, मध्य वैनगंगा, उर्ध्वा गोदावरी, उर्वित भीम, गोदावरी निम्नत्रोत या पहल में सहायक और पूरक विकास को जोड़ा जाना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से जल संसाधनों का पर्याप्त उपयोग किया जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र जल परिषद ने टोपोशिट्स (वन विभाग के क्षेत्रवार नक्शों की प्रतियां) के गहन अध्ययन के बाद 13 प्रस्ताव बनाए। इसके मुताबिक शॉर्ट टर्म में 170 बिलियन क्यूबिक फीट और लॉन्ग टर्म में 200 बिलियन क्यूबिक फीट पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए 2003 की नीति थी कि इससे बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त जल भंडारण और उप-सिंचाई योजनाएं बनाई जाएं। साथ ही मुंबई जल व्यवस्था, कोंकण में जल नियोजन, विदर्भ और

मराठवाड़ा की जल समस्या, तापी घाटी और उत्तरी महाराष्ट्र पर अलग से विचार किया गया।

इस नीति में जलसंभर विकास, जल प्रतिधारण एवं संरक्षण, जल उपयोग में मितव्ययिता, ड्रिप सिंचाई पर जोर देने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, उसके शुद्धिकरण, उसके लिए सख्त कानून, सिंचाई परियोजना जल प्रणालियों का कुशल उपयोग, न्यूनतम जल खपत वाली फसलें, इसके लिए अनुसंधान पर जोर, जल आवंटन में जनभागीदारी को प्राथमिकता देने के प्रावधान हैं। चूंकि बड़े धरण , नदी कनेक्शन, जल विद्युत परियोजनाओं जैसे बड़े कार्यों को सरकार ही पूरा कर सकती है, इसलिए जल नीति में न केवल इन मुद्दों को प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे सही समय पर ईमानदारी और कुशलता से लागू करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किमी है। यह भारतीय क्षेत्र का 9.3 प्रतिशत है। इसका 58 प्रतिशत खेती के अधीन है। खेती के तहत आने वाले क्षेत्र का लगभग 61% सूखा प्रवण है और केवल 18% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है। यानी 88 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा जो बारिश के जल पर निर्भर है। हालांकि राज्य में देश में सबसे ज्यादा बांध हैं, लेकिन गर्मियों में सिंचाई और पीने का पानी फलफूल रहा है। राज्य में वनावरण मात्र 17 प्रतिशत है। जो कम से कम 33 प्रतिशत होना चाहिए। वनों का आच्छादन घटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है और विभिन्न विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रदेश (राज्य) में आज भी 64 लाख छोटे जोत वाले किसान हैं। इसलिए, सिंचाई प्रणाली के साथ-साथ बढ़ती आबादी को पेयजल की बढ़ती आवश्यकता और जल नीति में अन्य आवश्यकताओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए पीने के पानी को प्राथमिकता दी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 11 करोड़ से अधिक है, जिसमें 55% ग्रामीण और 45% शहरी हैं।

राज्य जल नीति में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान :-

राज्य की जल नीति में पहली प्राथमिकता पेयजल और घरेलू उपयोग की है। लेकिन दूसरा आदेश कृषि के बजाय उद्योग को दिया गया। इसके विपरीत, भारत की जल नीति (2002) में कृषि दूसरी प्राथमिकता है। लेकिन कृषि को दूसरी जगह देने वाले और कृषि के लिए आरक्षित पानी को उद्योग और कृषि के लिए पानी की जगह बर्बाद करने वाले कृषि प्रधान महाराष्ट्र की जल नीति में कृषि को तीसरी प्राथमिकता क्यों दी गई। हजारों हेक्टेयर 'सेज' परियोजना, एम्बी वैली, लवासा सिटी को कृषि भूमि का अधिग्रहण कर स्थापित किया जा रहा है। इन सभी सुख-सुविधाओं के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के साथ ही पीने और खेती के पानी को डायवर्ट किया जा रहा है. जो कृषि, सामाजिक जीवन और जल नीति के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। राज्य में कृषित्तर सभी उद्योगों में नौकरियों की तुलना में कृषि में अधिक नौकरियां हैं। सरकारें और योजनाकार इस तथ्य को क्यों भूल जाते हैं? इसके विपरीत राष्ट्रीय जल नीति में स्थानीय संसाधनों के आधार पर कृषि और ग्रामीण आजीविका को प्राथमिकता दी गई है। कई अन्य राज्यों ने भी इसका पालन किया है। लेकिन महाराष्ट्र में जल वितरण को लेकर कृषि के साथ अन्याय हो रहा है. यह चिंता का विषय है और कृषि और किसानों की दुर्दशा को देखते हुए नीति में बदलाव की तत्काल आवश्यकता है।

राज्य की जल नीति में चौथी प्राथमिकता पर्यावरण और पर्यटन है। वास्तव में मनोरंजक गतिविधियाँ जैसे पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स आदि पर्यावरण को कुछ न कुछ नुकसान पहुँचाते हैं। फिर भी एक ही मानदंड से इन दो अलग-अलग चीजों का मूल्यांकन करना गलत है। जल विकास और वितरण की प्रक्रिया में आम जनता, महिलाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा जल नीति का एक पहलू यह भी है कि नहरों के रख-रखाव और बांध के चारे की जिम्मेदारी जल उपभोक्ता संगठन पर छोड़ दी जाती है। यह नीति जल आपूर्तिकर्ताओं (ठेकेदारों) को वाणिज्यिक आधार पर थोक दरों पर पानी का अधिकार प्रदान करती है। यह उनके लिए किसी अन्य प्रकार के उपयोग के लिए अपने अधिकारों को दूसरों को हस्तांतरित करने या बेचने के लिए गैर-जिम्मेदाराना प्रावधान भी करता है। बेशक, पानी के उपयोग को दी गई प्राथमिकता की परवाह किए बिना,

यह नीति अधिकार धारकों को अपने विवेक पर किसी को भी अपने अधिकार बेचने की अनुमति देती है। उदा. इन दावेदारों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पहली प्राथमिकता पानी चौथी प्राथमिकता मनोरंजक उपयोग के लिए भी। बेचा जा सकता है । साथ ही गांव वालों को ज्यादा पैसा का लालच दिखाकर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी आसानी से उस गांव का और फिर आम जनता से पानी खरीद सकती है. इस तरह उनको धोखा दिया जा सकता है । इस जल नीति, जिसमें कई विरोधाभासी प्रावधान हैं, ने 2003 में महाराष्ट्र में एक नए प्रस्तावित जल बाजार की ठोस नींव रखी।

असली पानी में बिक्री के लिए वित्तीय सामान। यह मौलिक रूप से गलत है। क्योंकि पाणी एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे पाणी को बाजार का अधिकार देना और उसकी बिक्री और खरीद की अनुमति देने का मतलब प्राकृतिक जल संसाधनों पर अमीरों का एकाधिकार बनाना है। गरीबों का शोषण करने और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने के अलावा, राज्य को जल विकास और वितरण की जिम्मेदारी से हटाने का मतलब है कि निजी उद्यमियों का लाभ का मकसद पाणी पर भी लागू होगा और सामाजिक आवश्यकता से बचकर जल वितरण अन्यायपूर्ण होगा। बिक्री-उन्मुख बाजार में भ्रामक मांग अगर मांग के बजाय मांग-संचालित आपूर्ति प्रणाली पेश की जाती है समग्र जल विकास और वितरण प्रणाली अन्यायपूर्ण, दिशाहीन और अक्षम होगी। वास्तव में, जनहित में, निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमता का समाधान हो सकता है नहीं। वास्तव में, निजी क्षेत्र अक्सर सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करता है। (जैसे भूमि, अनुदान, कर कटौती, छूट, मुफ्त बिजली, पाणी)

2003 में, कई जन संगठनों ने इन सभी मुद्दों को उठाया और जोर दिया कि प्राकृतिक संसाधनों पर किसी भी नीति या कानून पर उनके मसौदे में व्यापक रूप से चर्चा की जानी चाहिए और। हितग्राहियों एवं आम जनता से परामर्श लेना चाहिए,। लेकिन इन आपत्तियों और मांगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं उस समय यह जल नीति महाराष्ट्र में लागू की गई थी। इस जल नीति के तहत और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के दबाव में, 2005 में राज्य विधानमंडल ने जल संसाधन नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 पारित किया। तदनुसार, प्राधिकरण को योजना बनाने से लेकर कार्यान्वयन तक सभी शक्तियां प्राप्त हुईं। सामान्य जल उपयोगकर्ता चिंतित हैं क्योंकि इसके संचालन ने आज तक लाभ के आधार पर जल बाजार को एक उदार बढ़ावा दिया है।

इस नीति में कुछ महत्वपूर्ण खामियां (दोष) :-

1) जिन मानदंडों पर नीति तैयार की गई थी, वे पूरे नहीं हुए हैं।
2) जरूरतमंद और आम लोगों के हितों की रक्षा करना यह नीति विफल रही।
3) बड़े किसानों, उद्योगपतियों और ठेकेदारों के हित सावधान रणनीति।
4) पाणी को बिक्री योग्य वस्तु के रूप में मान्यता देने वाली नीति।
5) पाणी की कमी से निपटने में असमर्थ।
6) परियोजना में देरी और देरी के कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त किए बिना लागत में वृद्धि।
7) परियोजना से केवल लोगों को लाभ हुआ। आसपास के किसानों के लिए
8) इस योजना और परियोजना के कारण बहुत से किसान जो भूमिहीन हो गए या उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्हें पुनर्वास का लाभ नहीं मिला।
9) जल वितरण के कई मुद्दे विवादों में रहे।
10) क्षेत्रीय जल बैकलॉग अभी भी एक समस्या है।

वास्तविक जल की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जल संबंधी समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाना, उनका गहन अध्ययन करना और उनका समाधान करना पर्याप्त है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों सहित विकास के लिए अनुकूल एक व्यापक दीर्घकालिक जल नीति बनाने और लागू करने के लिए आवश्यक होने पर ही पाणी से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा और सामाजिक लाभ प्राप्त होंगे।

नई संशोधित जल नीति :-

महाराष्ट्र में 2003 के बाद 2012 में नई जल नीति की घोषणा की गई। यह राष्ट्रीय जल नीति 2012 के अनुरूप है। जिसमें एकरूपता, लचीलेपन और व्यापकता पर अधिक बल दिया गया। 2003 की जल नीति में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण और सिंचाई

को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसलिए, जो समस्याएं उत्पन्न हुईं, उनकी समीक्षा 2011 में की गई और 2012 की नई जल नीति को समाधान के रूप में घोषित किया गया।

इस योजना में पालतू जनावारो को प्रभावी जल उपयोग में , जल संरक्षण, सभी के लिए पाणी के साथ-साथ घरेलू जल उपयोग में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर, 2003 की नीति में खामियां, जो विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं में बाधा उत्पन्न कर रही थीं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता थी। विशेष रूप से राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों में से

(1) पाणी की आपूर्ति की भारी मांग थी।
(2) अनिश्चित जल उपलब्धता।
(3) कुछ क्षेत्रों में, पाणी का उपयोग प्रतिबंधित था।
(4) बाढ़ और सूखे की समस्याओं में हालिया वृद्धि।
(5) निर्मित सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग में बड़ी कमी।
(6) चिंताजनक भूजल स्तर में गिरावट।
(7) शहरी क्षेत्रों में पाणी की बर्बादी बढ़ रही है।
(8) पाणी की खराब गुणवत्ता।
(9) मानव त्रुटि और प्रकृति में हस्तक्षेप के कारण प्राकृतिक जल संसाधनों को खतरा था।
(10) मानव अपने स्वार्थ में नदियाँ, नाले , अतिक्रमण सिर चढ़कर बोल रहा था।

आदि सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यह मामला इतना सरल नहीं था जितना लगता है, इसलिए जल नीति में उचित परिवर्तन करना आवश्यक था। तदनुसार, राज्य में सरकारी स्तर पर कुछ सुधार किए गए। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने फिर से राज्य को नई जल नीति की घोषणा करने का सुझाव दिया। इसलिए, सरकार के राज्य जल संसाधन विभाग ने 5 सितंबर 2019 को संशोधित जल नीति की घोषणा की। नई 20-पृष्ठ जल नीति एकीकृत जल प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, कृषि जल उपयोग प्रबंधन, औद्योगिक जल उपयोग, मीठे पानी की जलीय कृषि (मछलीपालन), पर्यटन जल, शिपिंग या विमानन, वाटरशेड विकास जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करती है। राज्य में खेती योग्य क्षेत्र 225 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 126 लाख हेक्टेयर (56 प्रतिशत) सिंचित होने का लक्ष्य है। इसके लिए उद्योग में ताजे पानी की मात्रा को सीमित करके कृषि में ताजे पानी के उपयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पारंपरिक खुली सिंचाई प्रणाली को छोड़ने और बंद नलियों के माध्यम से पानी की आपूर्ति, यथासंभव सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने, केले और गन्ने के तहत क्षेत्र को पूरी तरह से सिंचित करने, पाणी की कमी या सूखाग्रस्त घाटियों और अन्य घाटियों से पानी निकालने पर भी जोर दिया गया है। पाणी की खपत के संदर्भ में पीने के पानी का उपयोग बसे हुए क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है और उस क्षेत्र के जानवरों के लिए आवश्यक पाणी को भी इस नीति में विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

संक्षेप में, नई जल नीति 2003 की जल नीति की तुलना में अधिक सक्रिय और अच्छा है। उद्योग की तुलना में नीति कृषि पर भी विशेष ध्यान देती है।

नई जल नीति की विशेषताएं :-

1) सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए पानी की बचत के साथ-साथ फसल पद्धतियों में बदलाव किया जाएगा।
2) सूक्ष्म सिंचाई को अधिकतम प्रोत्साहन देकर स्वचालित सिंचाई प्रणाली की स्थापना को प्राथमिकता।
3) वाष्पीकरण और उत्सर्जन को कम करने के लिए कुशल प्रणाली इरेक्शन पर जोर।
4) कॉरपोरेट सेक्टर, उद्योग क्षेत्र और स्थानीय स्वशासी निकायों के समन्वय से जल संसाधन संरक्षण कोष की स्थापना की जाएगी।

निष्कर्ष :-

दुनिया के किसी भी देश में खपत होने वाले पाणी की मात्रा न केवल पीने और स्वच्छता के लिए आवश्यक पाणी की मात्रा पर निर्भर करती है बल्कि देश में उपभोक्ता वस्तुओं और सुविधाओं के निर्माण के लिए खपत किए गए पाणी की मात्रा पर भी निर्भर करती है। जिन देशों में इस तरह की खपत बढ़ रही है, वहां पाणी की कमी बढ़ रही है। इस मुद्दे को जल नीति में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पाणी की खपत करने वाला देश है। उदा. भारत 13 प्रतिशत, चीन 12 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका 9 प्रतिशत। इस वजह से देश में पाणी की भारी मांग है। इसके लिए आज एक प्रभावी जल नीति की आवश्यकता है।

देश में घट रहा वन आच्छादन, भूमि उत्खनन। खनन, बुनियादी ढांचे का विकास, पाणी की निकासी, भूमि का क्षारीकरण, रासायनिक खेती में वृद्धि, पर्यावरण असंतुलन, दूषित औद्योगिक अपशिष्ट, स्वच्छता की कमी सभी देश में बढ़ते जल प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। ऐसे में शुद्ध पाणी की स्थिति गंभीर होती जा रही है। नई नीति में इसे नियंत्रित करने और सख्त कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होने की उम्मीद है। 2003 से कुल मिलाकर चल रहा है

जल नीति को अंतत: हाथ देकर पुरानी नीति की सभी खामियों और कमियों को कम करने के उद्देश्य से एक व्यापक और व्यापक नीति तैयार की गई। नई नीति बाढ़ और सूखे की समस्या के साथ-साथ जल उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा 2019 के लिए राज्य की जल नीति के अनुसार तैयार की जाने वाली जल योजनाओं में यदि कोई परिवर्तन करना है या कार्य करना है तो महाराष्ट्र जल बोर्ड और राज्य जल परिषद की स्वीकृति या अनुमति होगी. आवश्यक। यद्यपि इस तरह के एक नए रूप और संशोधित जल नीति की घोषणा की गई है, इसकी सफलता आने वाले वर्षों में इसके वास्तविक कार्यान्वयन और सामाजिक लाभों पर निर्भर करेगी। मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मौजूदा पाणी की समस्या की जटिलता और अधिक जटिल और गंभीर हो जाएगी। यह आशा की जाती है कि समग्र रूप से नई जल नीति की रूपरेखा और इसके तहत किए जाने वाले उपाय भविष्य की चुनौतियों का आसानी से सामना करेंगे।

संदर्भ सूची :-

१) रिपोर्ट ऑफ़ भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय २०१२

२) धाराशिवकर मुकुंद - दुसकाळ भेड सावतोय , मनोविकास प्रकाशन, नारायण पेठ, पुणे (2012)।

३) दिवाण विजय: जल के अनिवार्य अधिग्रहण की कहानी पर लेख, समाज प्रबोधन पत्रिका, समाज प्रबोधन
संस्था प्रकाशन, बेळगाव । (2009)।

४) राजपूत करमसिंह - महाराष्ट्रची अर्थव्यवस्था, साई ज्योति प्रकाशन, कसारपुरा, नागपुर। (2017)

५) डेली मॉर्निंग, रीजनल 25 जनवरी। 2008.

६) योजना जुलाई २०१६

७) https://pib.gov.in

८) https://wrd.maharashtra.gov.in